

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!!अधिसूचना!!

3/सी० एस०एम०/विविध-12/2014/ पटना-15, दिनांक-....., 2014 बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम संख्या-151,(2006) की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली-2006 की अनुसूची-1 द्वारा माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्रियों को निजी कर्मचारियों की सुविधा प्रदान की गई थी।

उक्त अनुसूची को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मुख्य मंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को निजी कर्मचारियों की सुविधा को निम्नवत् रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र०	महानुभाव	आप्त सचिव	निजी सहायक	निम्नवर्गीय लिपिक	आदेशपाल
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य मंत्री	02 (राजपत्रित पदाधिकारी-01, वाह्य-01)	02 (सरकारी/वाह्य)	02 (सरकारी/वाह्य)	04 (सरकारी/वाह्य)
2	मंत्री	02 (राजपत्रित पदाधिकारी-01, वाह्य-01)	02 (सरकारी/वाह्य)	01 (सरकारी/वाह्य)	03 (सरकारी/वाह्य)
3	राज्य मंत्री	02 (राजपत्रित पदाधिकारी-01, वाह्य-01)	02 (सरकारी/वाह्य)	01 (सरकारी/वाह्य)	02 (सरकारी/वाह्य)
4	उप मंत्री	01 (राजपत्रित पदाधिकारी)	02 (सरकारी/वाह्य)	01 (सरकारी/वाह्य)	01 (सरकारी/वाह्य)

02. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

03. इसमें मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी० एस०एम०/विविध-12/2014/ पटना-15, दिनांक-....., 2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी० एस०एम०/विविध-12/2014 2.8.8./ पटना-15, दिनांक-23/6/2014

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन/मंत्रिपरिषद् लेखा (पाँच प्रतियों में)/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

23/6/14